न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 / कोर्ट कैम्प शिविर – खोखरा
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 122 / 2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ढगलाराम पुत्र देवाराम सीरवी, निवासी खोखरा, तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।	1	कानाराम पुत्र लुम्बाराम जाति सीरवी, नि0 खोखरा तह0 सोजत जिला पाली, राज0 हाल नि0 85 गणेश हार्डवेयर एण्ड इलेक्ट्रीक्लस, Pudupalyam Main Road Pudupolyam Near IOB Bank Cuddalore (T.N) 607001
	2	केली देवी पुत्री लुम्बाराम पत्नि पेमाराम, निवासी देवली रोड़, चण्डावल, तह0 सोजत, जिला पाली (राज0)।
	3	शांति देवी पुत्री लुम्बाराम पत्नि नारायणलाल जातियान सीरवी निवासीगण खोखरा, तह0 सोजत, जिला पाली राजस्थान, हाल पवन ब्रोकर्स नलीकुपम मैन रोड़ एस0एन0 सावड़ी कडडलूर तमिलनाडू 607001
	4	तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री देवेन्द्र व्यास एवं श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी एवं श्री दिलीप चौधरी अधिवक्तागण प्रतिवादीगण सं0 1 से 03 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 05.10.2021

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा खोखरा भू अभिलेख क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 291 के खसरा नम्बर 384 रकबा 5.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 396 रकबा 1.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1310 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1664 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल खसरा 09 कुल रकबा 13.6800 हैक्टर किस्म चा0दो0, बंजड़, जा0दो0, बा0अ0, बा0दो0 की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी सामालती कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है। उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी का 1 / 2 हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 केली देवी का 1 / 10 व प्रतिवादी संख्या 3 शांतिदेवी का 1 / 10 राजस्व रेकर्ड अनुसार हक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त सामलाती कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि का आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड में विधिक बंटवाड़ा नहीं हो रखा है अर्थात वादस्थ कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त सामलाती दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य अविभाजित कृषि भूमि है तथा वादस्थ भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण का अपने माफिक हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त, उपयोग शांतिपूर्वक तरीके से चला आया है। वादस्थ भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की होने से वादी का प्रत्येक इंच भूमि पर हक हिस्सा निहित है तथा वादी अपने पुश्तैनी भूमि पर माफिक हक हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादस्थ भूमि कृषि भूमि में मौके पर वादी के हक हिस्से में आयी हुई कृषि भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी, बाधा अड़चन कारित करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वादी के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादस्थ कृषि भूमि में वादी द्वारा अपने 1/2 हक हिस्से पर लाखो रूपये विनियोजित कर उपजाउ योग्य बनाया हुआ है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की नियत खराब हो चुकी है व वादस्थ कृषि भूमि में बिना वैध विभाजन करवाये वादस्थ कृषि भूमि को अन्यत्र व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, अन्तरण करने पर आमादा है तथा बिना विधिक बंटवाड़ा के अभाव में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य कब्जे काश्त सीमाओ को लेकर मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते है। वादी द्वारा दिनांक 20/09/2019 को वादस्थ कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की कृषि भूमि की सार सम्भाल हेतु गया तो मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 मिले जिन्होंने वादी को वादस्थ भूमि में उसके हक हिस्से में कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं करने की ऐलानिया धमकियां देने लगे तथा ऐलानिया कहा कि यदि उक्त भूमि पर पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई तथा वादी को काश्त नहीं करने की ऐलानिया धमकियां दी। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से हाथा जोड़ी की कि उपरोक्त भूमि में मैं भी सह खातेदार हूं, मेरा भी मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण वादी को धमकियां देने लगे कि तुझे तेरे हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने देगे तब वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वादस्थ कृषि भूमि का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय चलकर विधिक बंटवाड़ा करवाने हेतु निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादी को वैध विभाजन करवाने से साथ इंकार कर दिया तथा वादी को ऐलानिया धमकियां देने लगे कि "हम तो बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करके रहेंगे, तेरे जो करना है वो कर ले तथा वादी को वादस्थ भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी करने की धमकियां देने लगे। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादस्थ भूमि का बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये, बेचान हस्तान्तरण इत्यादि करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही वादी के 1/2 हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने का वैध अधिकार प्राप्त है। वादस्थ कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य आज दिनांक तक कोई वैध बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा वादस्थ कृषि भूमि का बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये अन्यत्र अजनबी व्यक्तियो को बेचान, हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो अजनबी व्यक्ति मौके पर वैध विभाजन के अभाव में वादस्थ कृषि के कब्जे काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहेगी तथा अजनबी व्यक्ति वादी के कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

में अनावश्यक हस्तक्षेप करेगा। पक्षकारान के मध्य मुकदमाबाजी एवं रंजिशे बढेगी तथा वादी अपने मौके पर अपने हक हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जावेगा, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिये वादी वादस्थ कृषि भूमि में अपने 1/2 हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिक बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 क्षरा विधि विरूद्ध कृत्य को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रूकवाने के अधिकारी है। अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। बिनायदावा वादस्थ कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के राजस्व रेकर्ड में संयुक्त एवं सामलाती एवं खरीदसुदा भूमि होने से एवं वादी द्वारा दिनांक 20/09/2019 को वादी द्वारा वादस्थ कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की सार सम्भाल हेतु मौके पर जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वादी को वादस्थ कृषि भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं करने की ऐलानिया धमकियां देने से व वादस्थ कृषि भूमि का बिना वैध विभाजन करवाये अन्य व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण की ऐलानिया धमकियां देने से तथा वादी को वादस्थ भूमि में प्राप्त हक हिस्से एवं कब्जे काश्त से बेदखल करने की ऐलानिया धमकियां देने से व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वादस्थ कृषि भूमि का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय चलकर विधिक बंटवाड़ा करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा साफ इंकार हो जाने से वाद कारण बमुकाम ग्राम खोखरा तहसील सोजत उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश किया है। वादस्थ भूमि ग्राम खोखरा तहसील सोजत में स्थित होने से एवं वाद बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का हाने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम खोखरा तहसील सोजत में स्थित होने से एवं वाद बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का होने से तहसीलदार (भूमि धारक) को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 4 बनाया गया है। ग्राम खोखरा तह0 सोजत में होने से न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार का है। वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा खोखरा खसरा नम्बर 384 रकबा 5.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 396 रकबा 1.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1310 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1664 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल खसरा 09 कुल रकबा 13.6800 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी अपने 1/2 हक हिस्सा वादी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अलग करवाया जाकर उस पर अलग से वादी का कब्जा कराया जावे व राजस्व रेकर्ड में नक्शे में अलग से भूमि तरमीम करवाये जाने की ईस्तदुआ की है। इस हेतु वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्तागण मय वादी ने अन्तर्गत धारा 53 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर माफिक दावा वाद डिकी किये जाने तथा उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। दिनांक 14.09.2021 प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी एवं श्री दिलीप चौधरी ने वकालतनामा अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं दिनांक 14.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार, सोजत ने तथा दिनांक 11.01.2021 को अधिवक्ता मय प्रति0 संख्या 1 से 3 ने ज0दा0 पेश किया, की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई, गई, सा0मि0

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

है। अधिवक्ता वादी ने प्रा0 डिक्री जारी करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण विभाजन का है। प्रति0 संख्या 1 से 3 द्वारा इकबालिया ज0दा0 पेश कर बंटवाड़ा किये जाने में सहमति जाहिर की है। उभय पक्ष विभाजन हेतु सहमत है। लिहाजा दिनांक 11.01.2021 को प्रा0 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस अमर सादिर की गई कि सरहद मौजा सोजत खोखरा भू अभिलेख क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत जिला पाली राज. में वर्तमान खाता संख्या 291 के खसरा नम्बर 384 रकबा 5.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 396 रकबा 1.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1310 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1664 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल खसरा 09 कुल रकबा 13.6800 हैक्टर किस्म बा0अ0 बा0दो0, चा0दो0, जा0दो0, बंजड़ की विवादस्थ कृषि भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2021/372 दिनांक 09.4.2021 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहे जाने पर तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/...... एस.पी.1 .दिनांक 5.10.2021 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

पत्रावली आज दिनांक 05.10.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 में आयोजित कोर्ट केम्प– अटल सेवा केन्द्र खोखरा में पेश होने पर अधिवक्ता मय वादी एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उपस्थित उभयपक्षकारान की उपस्थिति तथा दूरभाष वार्ता पर सहमति व्यक्त किये जाने पर तथा अधिवक्तागण उपभ पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार अर्थात् उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति व्यक्त की है। फलतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार वादी का वाद डिकी किया जाना तथा वादस्थ भूमि का पक्षकारानों मध्य उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अनुसार बंटवाडा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग निर्धारण किये जाने तथा बंटवाडा किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 28.09.2021 डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत खोखरा भू अभिलेख क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत जिला पाली राज. में वर्तमान खाता संख्या 291 के खसरा नम्बर 384 रकबा 5.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 396 रकबा 1.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1310 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1664 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल खसरा 09 कुल रकबा 13.6800 हैक्टर किस्म बा0अ0 बा0दो0, चा0दो0, जा0दो0, बंजड़ की भूमि से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण कर निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रूपये
1.	केली देवी पुत्री लुम्बाराम हिस्सा 1/5 जाति सीरवी, कानाराम पुत्र लुम्बाराम हिस्सा 4/5 जाति सीरवी सा0 देह	431 433/1 434 435/1 384 396/1 1310 1358/1 1664/1	0.0200 0.0800 0.5600 0.4650 2.7800 0.9900 0.6950 0.7200 0.5000	चा0दो0 जा0दो0 बंजड़ बा0अ0 बा0दो0	
	योग	09	6.8100		60.00
2.	ढगलाराम पुत्र देवाराम जाति सीरवी सा0 देह रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा सोजतसिटी	431/1 433 434/1 435 384/1 396 1310/1 1358 1664	0.0200 0.0900 0.5600 0.4650 2.7800 0.9900 0.6950 0.7200 0.5000	चा0दो0 जा0दो0 बंजड़ बा0अ0 बा0दो0	
	योग	09	6.8200		61.00
	केली पुत्री लुम्बाराम हि0 1/10 जाति सीरवी सा0 देह, कानाराम पुत्र लुम्बाराम हि0 2/5, जाति सीरवी सा0 देह, ढगलाराम पुत्र देवाराम हि0 1/2 जाति सीरवी सा0 देह। रहन हिस्सा 1/2 आईसीआईसीआई बैंक शाखा सोजतसिटी	434/2	0.0500	चा0दो0 जा0दो0 बंजड (रास्ते हेतु)	0.51
	योग	01	0.0500	–	0.51

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 28.09.2021 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – खोखरा

यह निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, शिविर खोखरा में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – खोखरा

अन्तिम डिक्री

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान /कोर्ट कैम्प–शिविर– खोखरा
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीया

1. ढगलाराम पुत्र देवाराम सीरवी, निवासी खोखरा, तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 कानाराम पुत्र लुम्बाराम जाति सीरवी, नि0 खोखरा तह0 सोजत जिला पाली, राज0 हाल नि0 85 गणेश हार्डवेयर एण्ड इलेक्ट्रीक्लस, Pudupalyam Main Road Pudupolyam Near IOB Bank Cuddalore (T.N) 607001

2 केली देवी पुत्री लुम्बाराम पत्नि पेमाराम, निवासी देवली रोड़, चण्डावल, तह0 सोजत, जिला पाली (राज0)।

3 शांति देवी पुत्री लुम्बाराम पत्नि नारायणलाल जातियान सीरवी निवासीगण खोखरा, तह0 सोजत, जिला पाली राजस्थान, हाल पवन ब्रोकर्स नलीकुपम मैन रोड़ एस0एन0 सावड़ी कडडलूर तमिलनाडू 607001

4 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद संख्या :– 122/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री देवेन्द्र व्यास एवं श्री गोविन्द दवे एवं श्री महेन्द्र चौधरी, श्री दिलीप चौधरी अधिवक्तागण प्रति0 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 28.09.2021 डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत खोखरा भू अभिलेख क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत जिला पाली राज. में वर्तमान खाता संख्या 291 के खसरा नम्बर 384 रकबा 5.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 396 रकबा 1.9800 हैक्टर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 1.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1310 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1664 रकबा 1.0000 हैक्टर कुल खसरा 09 कुल रकबा 13.6800 हैक्टर किस्म बा0अ0 बा0दो0, चा0दो0, जा0दो0, बंजड़ की भूमि से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण कर निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

उपखण्ड अधिकारी सोजत

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रुपये
1.	केली देवी पुत्री लुम्बाराम हिस्सा 1/5 जाति सीरवी, कानाराम पुत्र लुम्बाराम हिस्सा 4/5 जाति सीरवी सा0 देह	431 433/1 434 435/1 384 396/1 1310 1358/1 1664/1	0.0200 0.0800 0.5600 0.4650 2.7800 0.9900 0.6950 0.7200 0.5000	चा0दो0 जा0दो0 बंजड़ बा0अ0 बा0दो0	
	कुल योग	09	6.8100		60.00
2.	ढगलाराम पुत्र देवाराम जाति सीरवी सा0 देह रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा सोजतसिटी	431/1 433 434/1 435 384/1 396 1310/1 1358 1664	0.0200 0.0900 0.5600 0.4650 2.7800 0.9900 0.6950 0.7200 0.5000	चा0दो0 जा0दो0 बंजड़ बा0अ0 बा0दो0	
	कुल योग	09	6.8200		61.00
3	केली पुत्री लुम्बाराम हि0 1/10 जाति सीरवी सा0 देह, कानाराम पुत्र लुम्बाराम हि0 2/5, जाति सीरवी सा0 देह, ढगलाराम पुत्र देवाराम हि0 1/2 जाति सीरवी सा0 देह। रहन हिस्सा 1/2 आईसीआईसीआई बैंक शाखा सोजतसिटी	434/2	0.0500	चा0दो0 जा0दो0 बंजड (रास्ते हेतु)	0.51
		01	0.0500	—	0.51

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 28.09.2021 की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.10.2021 को आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प– शिविर खोखरा जारी की गई।

(गोमती जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
अटल सेवा केन्द्र – खोखरा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			